उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-36/2019/ एस-2-1996/दस-2019-33(78)/2017
लखनऊ:: दिनांक :: 30 अगस्त, 2019

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख के पद साधारण वेतनमान रू0 8000-13500 (पुनरीक्षित वेतनबैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के चयन वर्ष 2018-19 में रिक्त पदों पर सहायक लेखाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा चयन कराये जाने के संबंध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में गठित चयन समिति की बैठक दिनाँक 07-8-2019 को सम्पन्न हुई। चयन समिति की संस्तुति जो मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित है, उप सचिव,उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-137(।।।)/08/पी/एस-5/2018-19, दिनाँक 14-08-2019 द्वारा शासन में प्राप्त हुई।

2- उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल सहायक लेखाधिकारी संवर्ग वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4800/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित 05 अधिकारियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख के पद कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतनबैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पद/स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का पद/स्थान
1	2	3
1	श्री मिथिलेश कुमार सिंह, सहायक लेखाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।	वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, सुल्तानपुर।
2	श्री अनिल कुमार बाजपेयी, सहायक लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ।
3	श्री मनोज कुमार त्रिवेदी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय महानिदेशक, होमगार्ड उ0प्र0 लखनऊ।	वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, प्रतापगढ़।
4	श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक लेखाधिकारी, आयुक्त खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, अग्निशमन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5	श्री गिरीश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, अर्थ एवं संख्या विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- उक्त पदोन्नत अधिकारी, शासन एवं निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ को अपना कार्यभार प्रमाणक प्रस्तुत करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली-1992 (यथासंशोधित) के नियम 24 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 यथासंशोधित 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

5- उक्त पदोन्नत अधिकारियों के सेवा संबंधी प्रकरण उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली,1992 यथासंशोधित एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों से आच्छादित होंगे।

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्या-36/2019/एस-2-1996(1)/दस-2019-33(78)/2017 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को आयोग के पत्र संख्या-137(।।।)/08/पी/ एस-5/2018-19, दिनॉक 14-08-2019 की छाया प्रति सहित।
3- संबंधित, मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- संबंधित विभाग/कार्यालय।
5- निदेशक, एफ0ए0टी0आई0/आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- उप सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-137(।।।)/08/पी/ एस-5/2018-19, दिनॉक 14-8-2019 के सन्दर्भ में।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय उ0प्र0 प्रयागराज ।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
9- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ ।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in